>

Title: Need to take steps to ensure return of the supporting documents to the unsuccessful applicants by the DDA to prevent their misue.

श्री जयवंत गंगाराम आवले (लातूर): महोदय, अगर किसी आदमी के नाम से कहीं फर्जी बैंक खाता, मोबाइल सिम कार्ड, क्रेडिट कार्ड यह सब बिन जाए तो इसमें चौंकाने की बात नहीं, मगर यह सब उसकी जानकारी में नहीं होना चाहिए, जिसके नाम पर यह फर्जी डाक्यूमेंट्स तैयार हुए हों, यह बहुत ही बड़ी समस्या का विषय है। इसकी प्रबल संभावनाएं डी.डी.ए. की हाउसिंग स्कीम में आवेदन करने वाले आवेदकों के दस्तावेजों से है, जो कि असफल आवेदकों को वापस नहीं किए जाते और रद्दी में बेचने के लिए बाहर बोरियों में भरकर रख दिए जाते हैं, इनमें उन आवेदकोंकी फोटो, पैन कार्ड, बिजली बिल, पासपोर्ट, वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेजों की फोटोकॉपी लगी होती है, जिनके उपयोग से कोई भी धोखाधड़ी निर्दोष व्यक्तियों के साथ हो सकती है। डी.डी.ए. को यह भूल नहीं करनी चाहिए। इसी मसले पर पूर्व में भी कई बार आवाज़ उठ चुकी है। उसके बावजूद भी इस पर ध्यान नहीं दिया गया तथा अब भी डी.डी.ए. के हेड क्वार्टर पर यह दस्तावेज बिखरे पड़े हैं। कोई भी इन्हें उठाकर इनका मिसयूज़ कर सकता है तथा उन लोगों के लिए बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती है, जिनके दस्तावेजों से कोई फर्जीवाड़ा कर दें।

अतः जनहित में मेरी मांग है कि जब डी.डी.ए. द्वारा असफल आवेदकों के चेक वापस डाक या कुरियर द्वारा भेज सकता है तो इतने कीमती दस्तावेज भी उसी के साथ वापस भेजे जाने चाहिए ताकि निर्दोष व्यक्ति को किसी भी परेशानी से बचाया जा सके।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी.नारायणसामी): आपने हाउस का बायकाट किया था।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): मंत्री जी, फाइनेंस बिल का बायकाट किया था। मैंने आपसे पूछा था, तब आपने कहा कि जीरो आवर में आ जाइएगा। अब मैं जीरो आवर में बोलने के लिए आ गया हूं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, कृपया अपनी बात कहिए।

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Please do not disturb. Shri Meghwal, I have given you time. Your name had gone.

...(*Interruptions*)